

**HARYANA GOVERNMENT
EDUCATION DEPARTMENT**

ORDER

ORDER NO. 3/4-2021 HRG-II(4)

Dated, Chandigarh, the 09.07.2021

Consequent upon tendering three months notice for Voluntary retirement on 28.04.2021 from Govt. service after attaining more than 20 years qualifying service, [030295] **Sh. Shayam Kumar, Headmaster GHS Diwana Distt. Kurukshetra** is hereby allowed to retire voluntarily from Govt. Service w.e.f. 31.07.2021, in terms of Haryana Govt. letter No. 27/30-05 FR (1) dated 01-08-1980.

**Dr. Mahavir Singh
Additional Chief Secretary to Govt. of Haryana,
School Education Department, Haryana
Chandigarh**

**OFFICE OF DIRECTOR SECONDARY EDUCATION HARYANA,
PANCHKULA.**


Endst. No. 3/4-2021 HRG-II (4)

Dated, Panchkula, the 14.07.2021

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:

Regd.

1. District Education Officer, Kurukshetra w.r.t. their Memo No. E/1-2021/7801 dated 18.05.2021. The service book of the official is attached herewith.
2. Accountant General (A&E), Haryana, Chandigarh.
3. Head Master/Headmistress, **GHS Diwana Distt. Kurukshetra.**
4. **Sh. Shayam Kumar, Headmaster GHS Diwana Distt. Kurukshetra.**
5. Superintendent Pension-I Branch (Local).
6. I.T. Cell (H.Q.).


**Deputy Director HRG-II
for Director Secondary Education,
Haryana, Panchkula**

**OFFICE OF DIRECTOR SECONDARY EDUCATION,
HARYANA, PANCHKULA**

Order No. 18/85-2021 PGT-III (1)

Dated, Panchkula the 15.07.2021

Smt. Monika, PGT Fine Arts, Govt. Sr. Sec. School, Pabnawa, Kaithal is hereby granted Child Care Leave w.e.f. 05.07.2021 to 01.10.2021 (89 days) as per Finance Department instructions No. 11/102/2009-3 FR dated 05.02.2010, 11/102/2009-3FR dated 05.07.2012 and letter No. 11/102/2009-3FR/28067 dated 01.02.2016.

**J. GANESAN
DIRECTOR SECONDARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULA**

ENDST. NO. EVEN

DATED, PANCHKULA THE 15.7.2021

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. District Education Officer, Kaithal.
2. Principal/Headmaster Govt. Sr. Sec. School, Pabnawa, Kaithal.
3. Smt. Monika, PGT Fine Arts, Govt. Sr. Sec. School, Pabnawa, Kaithal.
- ✓ 4. IT Cell for uploading the orders on website.
5. Office Copy.


Superintendent PGT-III
for Director Secondary Education,
Haryana, Panchkula



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
Directorate School Education
विद्यालय शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
 Education, Culture and Development

School Education - Haryana
 विद्यालय शिक्षा - हरियाणा

तमसो मा ज्योतिर्गमय
 Lead me from Darkness to Light

Off.: Plot No. 1B, Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) - Tel: 91(0172)-2560246 Fax: 91(0172)-2560253
 कार्यालय: प्लॉट नं० 1बी, शिक्षा सदन, सेक्टर 5 पंचकुला-134109 (भारत) दूरभाष : 91 (0172) 2560246 फैक्स: 91 (0172) 2560253
 e-mail: edusecondaryhry@gmail.com - site: www.schooleducationharyana.gov.in

ORDER NO. 15/3-2021 PS (1)

DATED, PANCHKULA THE 09.07.2021

The Managing Committee of Dashmesh Senior Secondary School, Kapal Mochan (Yamuna Nagar) is hereby approved with the following members:-

Priority	Member Name (Sh./Smt.)	Designation
1	Bal Dev Singh	President
2	Narender Singh	Manager
3	Jaswant Singh	Secretary
4	Narinder Kaur	Principal (Ex-officio) Member
5	Hardeep Kaur	Woman Representative
6	Gurmail Singh	Cashier
7	Ravi Kumar	Educationist
8	Arjinder Singh	Teacher Representative
9	Jagmail Singh	Member
10	Avinderpal Singh	PTA Member

J. GANESAN, IAS
 DIRECTOR SECONDARY EDUCATION
 HARYANA, PANCHKULA

Endst. No. even

Dated, Panchkula the 14-7-2021


A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. District Education Officer, Yamuna Nagar.
2. District Elementary Education Officer, Yamuna Nagar.
3. Manager, Dasmesh Public School, Society, VPO. Kapal Mochan, Bilaspur, Yamuna Nagar.
4. Principal, Dashmesh Senior Secondary School, Kapal Mochan, Yamuna Nagar.
5. I.T. Cell (HQ)
6. Office Record Copy.


 SUPERINTENDENT PS
 FOR DIRECTOR SECONDARY EDUCATION,
 HARYANA, PANCHKULA



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
Directorate School Education
विद्यालय शिक्षा निदेशालय



Off.: Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) - Tel: 91(0172)-2560246 Fax: 91(0172)-2560253
 कार्यालय: शिक्षा सदन, सेक्टर 5 पंचकुला-134109 (भारत) दूरभाष : 91 (0172) 2560246 फैक्स: 91 (0172) 2560253
 e-mail: edusecondaryhry@gmail.com - site: www.schooleducationharyana.gov.in

ORDER NO. 20/60-2021 PGT-II (6)

DATED, PANCHKULA 09.07.2021

In continuation to this office order No. 20/60-2021 PGT-II (6) dated 19.04.2021, Smt. Rekha Rani, PGT Hindi, Govt. Girls Sr. Sec. School, Bhagwi (Charkhi Dadri) is hereby granted extension of Child Care Leave w.e.f. 18.07.2021 to 17.10.2021 (Three Months) as per Haryana Civil Services (Leave) Rules, 2016.

J. GANESAN, IAS
 DIRECTOR SECONDARY EDUCATION
 HARYANA PANCHKULA

ENDST. NO. EVEN

DATED, PANCHKULA THE 15/07/2021

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. District Education Officer, Charkhi Dadri.
2. Principal concerned.
3. Official concerned.
4. IT Cell (Local) for uploading the orders on office website.

Anish
 Dy. Superintendent PGT-II
 for Director Secondary Education,
 Haryana, Panchkula



E:\Singla Office\Sanction\CCL Sanction 2021.docx


Office: Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) - Tel: 91(0172)-2560246 Fax: 91(0172)-2560253
 कार्यालय: शिक्षा सदन, सेक्टर 5 पंचकुला-134109 (भारत) दूरभाष : 91 (0172) 2560246 फैक्स: 91 (0172) 2560253





GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
Directorate School Education
विद्यालय शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
 Education, Culture and Development



तमसो मा ज्योतिर्गमय
 Lead me from Darkness to Light

Off.: Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) - Tel: 91(0172)-2560246 Fax: 91(0172)-2560253
 कार्यालय: शिक्षा सदन, सेक्टर 5 पंचकुला-134109 (भारत) दूरभाष : 91 (0172) 2560246 फ़ैक्स: 91 (0172) 2560253

e-mail: edusecondaryhry@gmail.com - site: www.schooleducationharyana.gov.in

ORDER NO. 20/94-2021 PGT-II (7)

DATED, PANCHKULA 15.07.2021

Smt. Anita, PGT Economics, Govt. Sr. Sec. School, Kalwan (Jind) is hereby granted Child Care Leave w.e.f. **15.07.2021** to **14.10.2021 (Three Months)** as per Haryana Civil Services (Leave) Rules, 2016.

J. GANESAN, IAS
DIRECTOR SECONDARY EDUCATION
HARYANA PANCHKULA

ENDST. NO. EVEN DATED, PANCHKULA THE 15-07-2021

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. District Education Officer, **Jind** w.r.t. their letter No. E-2/2021/Spl-1 dated 20.04.2021.
2. Principal concerned.
3. Official concerned.
- ✓ 4. IT Cell (Local) for uploading the orders on office website.

Dy. Superintendent PGT-II
for Director Secondary Education,
Haryana, Panchkula



E:\Singla Office\Sanction\CCL Sanction 2021.docx

Office: Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) - Tel: 91(0172)-2560246 Fax: 91(0172)-2560253
 कार्यालय: शिक्षा सदन, सेक्टर 5 पंचकुला-134109 (भारत) दूरभाष : 91 (0172) 2560246 फ़ैक्स: 91 (0172) 2560253



OFFICE OF THE DIRECTOR SECONDARY EDUCATION HARYANA,
PANCHKULA

ORDER

NO.KW2/9-2017 HRME-II (5) DATED,PANCHKULA THE 08.07.2021

Whereas Sh. Kailash Chander, Class-IV, O/o BEO, Kairu, Bhiwani was promoted to the post of Clerk vide this office Order No. 2/9-2017 HRME (5) dated 19.02.2018.

Further, consequent upon on his request, Sh. Kailash Chander is hereby reverted back as Class-IV as such with the condition that he will not be considered for further promotion again at least for one year and benefit of ACP if any, granted in lieu of promotion will be withdrawn.

The benefit on the post of Clerk, if any, has been allowed/drawn may be recovered from him.

VIVEK KALIA
ADDITIONAL DIRECTOR ADMN-II
O/O DIRECTOR SECONDARY EDUCATION
HARYANA,PANCHKULA

Endst. No. Even.

Dated, Panchkula 18.7.20

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. Principal, A.G. Haryana (A&G) Chandigarh.
2. Concerned, Treasury Office.
3. District Education Officer, Bhiwani.
4. Block Education Officer, Kairu, Bhiwani.
5. Sh. Kailash Chander, Clerk, O/o BEO, Kairu, Bhiwani.
6. I.T. Cell (Local).

S. K. Kalra
Dy SUPERINTENDENT HRME-II
for DIRECTOR SECONDARY EDUCATION
HARYANAPANCHKULA

ACP Order

Subject : ACP Order

Order No: 000856

In accordance with the instructions contained in Haryana Government Finance Department Notification No. 1/83/2008/1 PR (FD), dated 31.12.2008 and letter dated 04/03/2014 and Notification No. 1/20/2016 (ACP)-5 PR (FD) dated 28.10.2016, Sh. Surender KUMAR, PGT-English, GGSSS, Barwala, Panchkula is hereby granted 2nd ACP in the ACPL-13, w.e.f. 01.10.2019 after completion of 16 years regular satisfactory service. It is being granted only in lieu of promotion/non availability of promotion avenues for the time being and is liable to be withdrawn without any notice in the event of forgoing/declining of hierarchical promotion. With the subject to condition that there is no adverse remarks in ACR of the applicant for the year 2019-20.

Sr.No.	Unique Code Name Designation	Last Promotion Date Last ACP Date Present PayScale	ACP No ACP Date ACP PayScale Basic Pay	Status Remarks
1	0E4E8N SURENDER KUMAR P.G.T. in English	01/10/2013 9300-34800+5400GP	2 01/10/2019 ACP-L-13(15600- 39100+6000GP) 85800	Order Generated as per remarks of section officer incumbent is eligible for 2nd acp in acpl-13

Dated 09 July, 2021


VIVEK KALIA Additional Director Director
Secondary Education, Sector 5, (Town -
PANCHKULA), Directorate of Secondary
Education, Haryana (4139) 9971701212

No.: 001282

Dated 09 July, 2021

A copy, each, is forwarded for information and action, where necessary to the following:--

1. The Accountant General (A&E) Haryana, Chandigarh.
2. District Education Officer concerned in reference of their request for ACP Case of above said employee. Please ensure that all facts and figures are checked up at the time of Pay fixation of the official concerned.
3. Head of the Institution concerned.
4. Employee Concerned.
5. Treasury/Sub-Treasury concerned.


(Mukesh Kumar)

MUKESH KUMAR KUMAR, Superintendent
Director Secondary Education (Directorate of
Secondary Education, Haryana (4139))
7973734439

No.: 001282

Dated 09 July, 2021

OFFICE OF THE DIRECTOR SECONDARY EDUCATION, HARYANA
PANCHKULA

ORDER No. 13/148-2020 HRME- I(4)

Dated, Panchkula, the

Whereas, Petitioners have filed the CWP No. 14327 of 2020 titled as Mohit and others Vs. State of Haryana & Others before the Hon'ble Punjab & Haryana High Court, praying therein for issuance of a writ in the nature of certiorari/mandamus for quashing the list dated 07.08.2020 (Annexure- P4) and transfer order dated 14.08.2020 (Annexure- P5) qua the petitioners.

The above said Civil Writ Petition came up for adjudication before the Hon'ble High Court on 28.01.2021 and the same was disposed of with following orders:-

"Ld. State counsel has raised no objection in case the innocuous prayer of the petitioners is accepted.

In view of the agreed stand taken by both the sides, this writ petition is disposed of with liberty to the petitioners to make a representation to the competent authority within the period of two weeks from today and the same shall be considered and decided expeditiously in accordance with law preferably within two weeks thereafter in case there is no legal impediment

It is clarified that in case the desired representation is not decided within the stipulated time the same shall be considered as disobedience of the order of this court.

It is also clarified that interim order dated 07.09.2020 will continue till the representation is decided in accordance with law.

Since main writ petition stands disposed off, thereof, the pending applications if any shall also dispose off."

In compliance of the abovementioned orders of the Hon'ble High Court, the claim of the petitioners was examined & it was found that the petitioners were transferred in accordance with Online Transfer Policy of Ministerial Staff dated 06.03.2020. It is pertinent to mention here that the petitioner nos. 1 to 10 except petitioner no. 7 i.e. voluntarily participant, were compulsorily participants of Online Transfer Policy of Ministerial Staff dated 06.03.2020, because they had completed the tenure of five years in their particular zone. All the petitioners opted stations according to their suitability and choice & got the stations as per their merit points.

Whereas, the Government of Haryana framed Online Transfer Policy of Ministerial Staff dated 06.03.2020. Thereupon, transfers were made under this policy to ensure equitable distribution of Ministerial Cadre Employees of the Department across the State, in a fair & transparent manner and to maximize job satisfaction amongst employees. Under this policy all government schools/institutes have been categorized into seven zones for the purpose of transfer of clerks and every participant is eligible to opt for any number of schools/institutes across the zones available to him/her. He/She is free to give preferences in order of his/her suitability. So that chances of being posted in 'Anywhere in the State' category may be decreased. Further according to the Para No. 4 sub clause V (b), the department is at liberty to post an employee anywhere in the State if he/she fails to get one of his/her preferred options. Thus the petitioners got the stations as per the online transfer policy of Ministerial Staff 2020.

Whereas the stations were blocked by following the process of rationalization. It is worthwhile to mention here that according to the sub clause-iv of Clause-4 of online transfer policy of Ministerial Staff 2020, the department can block actual vacant post for the purpose of rationalization. Sub clause-iv of Clause-4 online transfer policy of Ministerial Staff 2020 is as under:-

iv) Rationalization and Blocking of posts: To avoid disproportionate concentration of employees at a particular station, the department should rationalize their sanctioned posts and also block actual vacant post to be kept vacant in the transfer drive. In the long run, however, the department may increase/decrease the total number of sanctioned posts as per the assessment/requirement in consultation with work Assessment Cell in the Administrative Reforms Department and Finance Department.

The posts with less workload were blocked by the department, because stations with overwork load required more employee for smooth working in the department. So, for maximum utilization of the potential of an employee at over work loaded station and to avoid misappropriate concentration of employees at a particular station, the blocking of posts was done by the process of rationalization in the public interest.

Moreover, the stations were blocked by the department by following the proper criteria i.e. the schools in which the student strength is less than 125 were blocked for the purpose of proper utilization of the manpower available with the department. Thus for the purpose of even distribution of clerks in the State the process of rationalization was done as per mandate of Clause 4 (iv) of Online Transfer Policy of Ministerial Staff dated 06.03.2020.

Whereas as per the provisions of the policy, allotment of a vacant seat/station to an employee is based on total composite score earned by the employee concerned out of total 80 score points. The employee concerned earning highest score is entitled to be transferred against a particular vacancy. For merit points, age is prime factor for deciding the claim of the employee against a vacancy, as it has weightage of maximum of 60 points out of total 80 points. However, it is worthwhile to mention here that the categories like woman, widows, widowers, differently-abled persons, employees with serious ailments, a privilege of maximum 20 points can be availed by the employees.

Therefore, the employees were asked to opt maximum stations as per their choice suitable to them so that their chances of getting posted on an un-opted station in 'anywhere in the state category' may be reduced. In other words, if a employee could not be transferred against any of the stations preferred by him/her, he/she shall be transferred under '**Anywhere in the State**' category. In case an employee is to be transferred on an un-opted station in "Anywhere in state" category then Computer Programme/Software, instead of sending them at a distant place, searches for a vacancy nearest to them and put them at that vacancy as per their merit points.

Whereas, according to general principles of the policy, every employee is responsible for the accuracy and regular updation of data in MIS in respect of his/her credentials, otherwise the department is at liberty to transfer him/her in "Anywhere category" in the State. Employees are liable to be transferred under this policy in any zone or anywhere in the State, in public interest, on completion of prescribed tenure.

Whereas, the contention with regard to the Right of education is concerned, the Government of Haryana enacted the Haryana Right of Children to Free and Compulsory Education Rules, 2011 dated 03.06.2011 for the teachers and the same is not applicable to clerks. Thus the clerks do not fall under the ambit of Haryana Right of Children to Free and Compulsory Education Rules, 2011. Moreover, most of the clerical work with regard to the elementary schools has been done from the office of Block Elementary Education office. As such there is no clerical workload in elementary schools and most of the posts in the elementary schools were blocked by the department due to less workload and the same was done in a fair manner and no teacher was allocated the clerical work till date.

Whereas the petitioner nos. 1 to 10 opted the station 313,181, 185, 157, 5, 2, 58, 297, 2, 119 & got the merit score of 31.9479, 30.4493, 32.4356, 31.6027,

44.8192, 45.2192, 45.4959, 30.1507, 33.0164, 29.1781 points respectively. The petitioner no. 5, 6, 8 & 9 got their 5th, 2nd, 297th and 2nd preferred stations respectively, as far as the petitioner nos. 1, 2, 3, 4, 7 & 10 is concerned they could not get stations out of their preferred stations due to less merit points. Thus they were transferred in the "Anywhere in the State Category". The stations preferred by them were allocated to the persons higher in merit in strict compliance of the transfer policy dated 6.3.2020.

In the circumstances, petitioners have been transferred by the Department in strict compliance to the transfer policy dated 06.03.2020. Therefore, the claim of the petitioners is hereby rejected, being devoid of merits.

I order accordingly.

1
J. GANESAN
DIRECTOR SECONDARY EDUCATION,
HARYANA, PANCHKULA.

Regd.

Mohit S/o Late Dilawar Singh, R/o V.P.O. Baroda, Tehsil Gohana, District Sonapat.


Endst. No. Even

Dated, Panchkula, the 15.07.2021

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-


1. Sonu S/o Hawa Singh R/o V.P.O. Rukhi, Tehsil Gohana, District Sonapat.
2. Bhal Chand S/o Ramdhari R/o V.P.O.Garhi, Tehsil Kalanaur Distt. Rohtak.
3. Chand Singh S/o Parkash Singh R/o VPO Khachral Tehsil Matanhail. Distt. Jhajjar.
4. Dhan Singh S/o Dharampal R/o VPO ludana, jind
5. Bijender Son of Surajmal Resident of VPO Budha Khera, District Jind.
6. Rekha Rani Daughter of Sushil Kumar, resident of # 4153, Defence Colony, Jind.
7. Manoj Son of Rajbir Singh resident of VPO Dhamar, District Rohtak.
8. Sanjay Kumar son of Ramphool, resident of VPO Baland, District Rohtak.

9. Amit son of Mukesh, Resident of House No. 2226/2, Pandav Nagar near
Khumbi Farm, Indira Colony, Rohtak.
10. District Education Officers, Concerned.
- ✓ 11. IT Cell for Information/Updation.


**SUPERINTENDENT/HRME-I
FOR DIRECTOR SECONDARY EDUCATION,
HARYANA, RANCHKULA**



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
Directorate School Education
 विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा मे,

Principal GGSSS-Adampur Gaon[1422], Hisar
 Principal GSSS-Hansi[1441], Hisar

यादी क्रमांक 2/79-2021 works (1)
 दिनांक पंचकूला 13-07-2021

विषय माईनर वर्क्स ग्रांट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष
 2021-22 (Recurring /Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0एण्ड0सी0 दिनांक 07.04.2020 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/79-2021 Works (1) दिनांक 12.05.2021 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 10000.00 लाख रूपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GGSSS Adampur Gaon (Hisar) [1422]	Repair/construction work (balance amount)	1999900.00
2 GSSS Hansi (Hisar) [1441]	Repair/construction work (balance amount)	650000.00
	कुल राशि	2649900.00

स्कीम मे यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पेशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- 4 विद्यालयों के भवनो के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होतो उसे तुरन्त खजाने में चलान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- 5 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring/Recurring) 2021-22 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

Sankar Kumar
 उप अधीक्षक निर्माण
 कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
 014 हरियाणा, पंचकूला।

पृष्ठांकन क्रमांक 2/79-2021 works (1)

दिनांक, पंचकुला:- 18.07.2021


इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, हिसार को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त हिसार
- 3 जिला खजाना अधिकारी हिसार
- 4 उप खजाना अधिकारी, आदमपुर/हांसी/नारनौद/बरवाला/उकलाना/ / /
- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके उनके अशा10 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 07.04.2020 के संदर्भ में।
- 6 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ़।
- 7 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित करने का कष्ट करे।
- 10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
- ✓ 11 इन्चार्ज आई0टी0 सैल (शिक्षा निदेशालय)।

Sanku Kumar
उप अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
Directorate School Education
 विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा मे,

Principal GMSSSS-Sirsa[2844], Sirsa
 Principal GMSSSS-Sirsa[2844], Sirsa
 Principal GMSSSS-Sirsa[2844], Sirsa
 Principal GMSSSS-Sirsa[2844], Sirsa
 Principal GSSS-Nathusari Chopta[2923], Sirsa
 Principal GSSS-Nehrana[3022], Sirsa
 Head of Institution AMSSS-Jhiri[6656], Sirsa
 Head of Institution AMSSS-Kaluwana[6657], Sirsa
 Head of Institution AMSSS-Khari Surera[6658], Sirsa
 Head of Institution AMSSS-Nathusari Kalan[6659], Sirsa
 Head of Institution AMSSS-Jalalana[6660], Sirsa
 Head of Institution AMSSS-Mohammad Puria[6661], Sirsa

यादी क्रमांक 2/79-2021 works (1)
 दिनांक पंचकुला 13-07-2021

विषय माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमैट स्कूलज वर्ष
 2021-22 (Recurring /Non-Recurring) .

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0एण्ड0सी0 दिनांक 07.04.2020 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/79-2021 Works (1) दिनांक 12.05.2021 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 10000.00 लाख रूपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GMSSSS Sirsa (Sirsa) [2844]	Repair/construction work (balance amount)	94000.00
2 GMSSSS Sirsa (Sirsa) [2844]	Repair/construction work (balance amount)	242400.00
3 GMSSSS Sirsa (Sirsa) [2844]	Repair/construction work (balance amount)	275000.00
4 GMSSSS Sirsa (Sirsa) [2844]	Repair/construction work (balance amount)	90000.00
5 GSSS Nathusari Chopta (Sirsa) [2923]	Repair/construction work (balance amount)	1508500.00
6 GSSS Nehrana (Sirsa) [3022]	Repair/construction work (balance amount)	118000.00
7 AMSSS Jhiri (Sirsa) [6656]	Repair/construction work (balance amount)	678100.00
8 AMSSS Kaluwana (Sirsa) [6657]	Repair/construction work (balance amount)	1522000.00
9 AMSSS Khari Surera (Sirsa) [6658]	Repair/construction work (balance amount)	587000.00
10 AMSSS Nathusari Kalan (Sirsa) [6659]	Repair/construction work (balance amount)	2000000.00
11 AMSSS Jalalana (Sirsa) [6660]	Repair/construction work (balance amount)	217000.00
12 AMSSS Mohammad Puria (Sirsa) [6661]	Repair/construction work (balance amount)	587000.00
	कुल राशि	7919000.00

स्कीम में यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पैशिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढ़ता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- 4 विधालयों के भवनों के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होतो उसे तुरन्त खजाने में चलान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- 5 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring/Recurring) 2020-21 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

Sanjeev Kumar
उप-अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला।

पृष्ठांकन क्रमांक 2/79-2021 works (1)

दिनांक, पंचकूला:- 18.07.2021

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, सिरसा को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त सिरसा
- 3 जिला खजाना अधिकारी सिरसा
- 4 उप खजाना अधिकारी, रानिया/डबवाली/ऐलनाबाद/कलांवली///
- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके उनके अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 07.04.2020 के संदर्भ में।
- 6 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ़।
- 7 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित करने का कष्ट करे।

10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

✓ 11 इन्चार्ज आई0टी0 सैल (शिक्षा निदेशालय)।


Sanjeev Kumar
उप-अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा में,

Principal GSSS-Ghogripur[1862], Karnal

यादी क्रमांक 2/79-2021 works (1)

दिनांक पंचकूला 13-07-2021

विषय माईनर वर्क्स ग्रांट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष
2021-22 (Recurring /Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0एण्ड0सी0 दिनांक 07.04.2020 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/79-2021 Works (1) दिनांक 12.05.2021 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 10000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GSSS Ghogripur (Karnal) [1862]	Repair/construction work (balance amount)	977000.00
	कुल राशि	977000.00

स्कीम में यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पेशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढ़ता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- 4 विद्यालयों के भवनो के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि हो तो उसे तुरन्त खजाने में चलान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- 5 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring/Recurring) 2021-22 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

Sanjeev Kumar
उप अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला।

पृष्ठांकन क्रमांक 2/79-2021 works (1)

दिनांक, पंचकुला:- 13.07.2021


इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, करनाल को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त करनाल
- 3 जिला खजाना अधिकारी करनाल
- 4 उप खजाना अधिकारी, नीलोखेड़ी/इन्द्री/घरौण्डा/असन्ध/निसिंग/तरावड़ी//
- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके उनके अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 07.04.2020 के संदर्भ में।
- 6 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ़।
- 7 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित करने का कष्ट करे।
- 10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
- 11 इन्चार्ज आई0टी0 सैल (शिक्षा निदेशालय)।

Sandeep Kumar
उप अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
Directorate School Education
विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा मे,

Principal GSSS-Hathira[2318], Kurukshetra

यादी क्रमांक 2/79-2021 works (1)
दिनांक पंचकूला 13-07-2021

विषय माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष
2021-22 (Recurring /Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0एण्ड0सी0 दिनांक 07.04.2020 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/79-2021 Works (1) दिनांक 12.05.2021 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 10000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GSSS Hathira (Kurukshetra) [2318]	Repair/construction work (balance amount)	303000.00
	कुल राशि	303000.00

स्कीम मे यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पेशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- 4 विद्यालयों के भवनों के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि हो तो उसे तुरन्त खजाने में चलान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- 5 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring/Recurring) 2020-21 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

Sandeep Kumar
उप अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला।

पृष्ठांकन क्रमांक 2/79-2021 works (1)

दिनांक, पंचकुला:- 13.07.2021

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, कुरुक्षेत्र को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त कुरुक्षेत्र
- 3 जिला खजाना अधिकारी कुरुक्षेत्र
- 4 उप खजाना अधिकारी, शाहबाद/पेहवा/लाडवा/ईस्मायलाबाद//
- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके उनके अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 07.04.2020 के संदर्भ में।
- 6 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ़।
- 7 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते मे स्थानान्तरित करने का कष्ट करें।
- 10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
- 11 इन्चार्ज आई0टी0 सैल (शिक्षा निदेशालय)।


Sandeep Kumar
उप अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा में,

Principal GSSS-Thanthri[1072], Palwal
Principal GSSS-Thanthri[1072], Palwalयादी क्रमांक 2/79-2021 works (1)
दिनांक पंचकूला 13-07-2021विषय माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष
2021-22 (Recurring /Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0एण्ड0सी0 दिनांक 07.04.2020 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/79-2021 Works (1) दिनांक 12.05.2021 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 10000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GSSS Thanthri (Palwal) [1072]	Repair/construction work (balance amount)	1536000.00
2 GSSS Thanthri (Palwal) [1072]	Repair/construction work (balance amount)	1142000.00
	कुल राशि	2678000.00

स्कीम में यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पैशिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- 4 विद्यालयों के भवनो के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होतो उसे तुरन्त खजाने में चलान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- 5 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring/Recurring) 2021-22 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

Samlewkumar
उप अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला।

पृष्ठांकन क्रमांक 2/79-2021 works (1)

दिनांक, पंचकुला:- 13.07.2021

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-


- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, पलवल को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त पलवल
- 3 जिला खजाना अधिकारी पलवल
- 4 उप खजाना अधिकारी, पलवल/होडल/हथीन///
- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके उनके अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 07.04.2020 के संदर्भ में।
- 6 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ़।
- 7 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित करने का कष्ट करे।
- 10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
- 11 इन्चार्ज आई0टी0 सैल (शिक्षा निदेशालय)।

Sanku Kumar
उप अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।



Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय

www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा मे,

Principal GSSS-Parwala[3732], Panchkula
Principal GSSS-Thapli[5804], Panchkulaयादी क्रमांक 2/79-2021 works (1)
दिनांक पंचकूला 13-07-2021**विषय** माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष
2021-22 (Recurring /Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0एण्ड0सी0 दिनांक 07.04.2020 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/79-2021 Works (1) दिनांक 12.05.2021 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 10000.00 लाख रूपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GSSS Parwala (Panchkula) [3732]	Repair/construction work (balance amount)	1941000.00
2 GSSS Thapli (Panchkula) [5804]	Repair/construction work (balance amount)	1775000.00
	कुल राशि	3716000.00

स्कीम मे यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुर्म्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पैशिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- 4 विद्यालयों के भवनो के निर्माण/मुर्म्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होतो उसे तुरन्त खजाने में चलान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- 5 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring/Recurring) 2021-22 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

Sankar Kumar
उप अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला।

पृष्ठांकन क्रमांक 2/79-2021 works (1)

दिनांक, पंचकुला- 13.07.2021

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, पंचकुला को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त पंचकुला
- 3 जिला खजाना अधिकारी पंचकुला
- 4 उप खजाना अधिकारी, कालका/बरवाला/मोरनी/रायपुररानी/ / /
- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ को उनके उनके अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 07.04.2020 के संदर्भ में।
- 6 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ।
- 7 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित करने का कष्ट करे।

10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

11 इन्चार्ज आई0टी0 सैल (शिक्षा निदेशालय)।


Sanku Kumar
उप अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा मे,

Head Master GHS-Sewan Majra [130], Ambala
Head Master GHS-Khanpur Brahman[140], Ambala
Principal GSSS-Ugara Bara[168], Ambala

यादी क्रमांक 2/79-2021 works (1)
दिनांक पंचकूला 13-07-2021

विषय **माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2021-22 (Recurring /Non-Recurring).**

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0एण्ड0सी0 दिनांक 07.04.2020 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/79-2021 Works (1) दिनांक 12.05.2021 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 10000.00 लाख रूपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GHS Sewan Majra (Ambala) [130]	Repair/construction work (balance amount)	246000.00
2 GHS Khanpur Brahman (Ambala) [140]	Repair/construction work (balance amount)	127868.00
3 GSSS Ugara Bara (Ambala) [168]	Repair/construction work (balance amount)	1648000.00
	कुल राशि	2021868.00

स्कीम मे यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पेशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- 4 विद्यालयों के भवनो के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होतो उसे तुरन्त खजाने में चलान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- 5 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring/Recurring) 2021-22 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

Sandeep Kumar
उप अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला।

पृष्ठांकन क्रमांक 2/79-2021 works (1)

दिनांक, पंचकुला:- 13.07.2021

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, अम्बाला को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त अम्बाला
- 3 जिला खजाना अधिकारी अम्बाला
- 4 उप खजाना अधिकारी, अम्बाला कैंट/बराड़ा/नारायणगढ़/मुलाना///
- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके उनके अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 07.04.2020 के संदर्भ में।
- 6 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ़।
- 7 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित करने का कष्ट करे।


10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

11 इन्चार्ज आई0टी0 सैल (शिक्षा निदेशालय)।

Sanku Kumar
उप अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
Directorate School Education
 विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा मे,

Principal GSSS-Rewari[2540], Rewari

यादी क्रमांक 2/79-2021 works (1)

दिनांक पंचकूला 13-07-2021

विषय माईनर वर्क्स ग्रांट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष
2021-22 (Recurring /Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0एण्ड0सी0 दिनांक 07.04.2020 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/79-2021 Works (1) दिनांक 12.05.2021 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 10000.00 लाख रूपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GSSS Rewari (Rewari) [2540]	Repair/construction work (balance amount)	400511.00
	कुल राशि	400511.00

स्कीम मे यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पेशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- 4 विद्यालयों के भवनो के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि हो तो उसे तुरन्त खजाने में चलान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- 5 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring/Recurring) 2021-22 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

Sandeep Kumar
 उप अधीक्षक निर्माण
 कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
 हरियाणा, पंचकूला।

पृष्ठांकन क्रमांक 2/79-2021 works (1)

दिनांक, पंचकुला- 13.07.2021

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, रिवाड़ी को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त रिवाड़ी
- 3 जिला खजाना अधिकारी रिवाड़ी
- 4 उप खजाना अधिकारी, कौसली/बावल / / /
- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके उनके अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 07.04.2020 के संदर्भ में।
- 6 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ़।
- 7 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित करने का कष्ट करें।
- 10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
- 11 इन्चार्ज आई0टी0 सैल (शिक्षा निदेशालय)।

Sanjeev Kumar
उप अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा मे,

Principal GSSS-Behlba[2647], Rohtak
Principal GSSS-Behlba[2647], Rohtak
Principal GSSS-Chiri[2650], Rohtak
Principal GSSS-Meham[2749], Rohtak
Principal GSSS-Meham[2749], Rohtak
Principal GSSS-Meham[2749], Rohtak

यादी क्रमांक 2/79-2021 works (1)
दिनांक पंचकूला 13-07-2021

विषय माईनर वर्क्स ग्रांट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष
2021-22 (Recurring /Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0एण्ड0सी0 दिनांक 07.04.2020 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/79-2021 Works (1) दिनांक 12.05.2021 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 10000.00 लाख रूपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GSSS Behlba (Rohtak) [2647]	Repair/construction work (balance amount)	1632000.00
2 GSSS Behlba (Rohtak) [2647]	Repair/construction work (balance amount)	653000.00
3 GSSS Chiri (Rohtak) [2650]	Repair/construction work (balance amount)	1432000.00
4 GSSS Meham (Rohtak) [2749]	Repair/construction work (balance amount)	1512000.00
5 GSSS Meham (Rohtak) [2749]	Repair/construction work (balance amount)	1975000.00
6 GSSS Meham (Rohtak) [2749]	Repair/construction work (balance amount)	1978000.00
	कुल राशि	9182000.00

स्कीम में यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पेशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढ़ता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- विद्यालयों के भवनो के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होतो उसे तुरन्त खजाने में चलान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintenance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring/Recurring) 2021-22 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

Sanjeev Kumar
उप अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला।

पृष्ठांकन क्रमांक 2/79-2021 works (1)

दिनांक, पंचकूला:- 13.07.2021


इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, रोहतक को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त रोहतक
- 3 जिला खजाना अधिकारी रोहतक
- 4 उप खजाना अधिकारी, महम/साम्पला/कलानौर///
- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ को उनके उनके अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 07.04.2020 के संदर्भ में।
- 6 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ।
- 7 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित करने का कष्ट करे।
- 10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
- 11 इन्चार्ज आई0टी0 सैल (शिक्षा निदेशालय)।

Sanjeev Kumar
उप अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
Directorate School Education
विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा में,

Principal GSSS-Kundli[3628], Sonipat
Principal GGSSS-Butana[3678], Sonipat

यादी क्रमांक 2/79-2021 works (1)
दिनांक पंचकूला 13-07-2021

विषय माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पैशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष
2021-22 (Recurring /Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0एण्ड0सी0 दिनांक 07.04.2020 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/79-2021 Works (1) दिनांक 12.05.2021 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 10000.00 लाख रूपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GSSS Kundli (Sonipat) [3628]	Repair/construction work (balance amount)	1516500.00
2 GGSSS Butana (Sonipat) [3678]	Repair/construction work (balance amount)	480000.00
	कुल राशि	1996500.00

स्कीम में यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पैशिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- 4 विद्यालयों के भवनों के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होतो उसे तुरन्त खजाने में चलान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- 5 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring/Recurring) 2021-22 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

Sanjew Kumar
उप अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला।

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, सोनीपत को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त सोनीपत
- 3 जिला खजाना अधिकारी सोनीपत
- 4 उप खजाना अधिकारी, गोहाना/गनौर/खरखोदा/ / /
- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके उनके अशा10 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 07.04.2020 के संदर्भ में।
- 6 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ़।
- 7 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित करने का कष्ट करे।
- 10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
- 11 इन्वार्ज आई0टी0 सैल (शिक्षा निदेशालय)।

Sanjeev Kumar
उप अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।